न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः 02/2024

निर्णय दिनांकः 19.09.2024

सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार जाति खत्री, निवासी सीकरी तहसील सीकरी जिला डीग

———प्रार्थीया

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब सीकरी, तहसील सीकरी (डीग)।

———अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थितः—

1. श्री संदीप मदान अधिवक्ता प्रार्थीया।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी व आराजी खसरा नंबर 125/0.33 बाके सैंदवाडा पटटी तहसील सीकरी प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी के 1/5 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान व खसरा नंबर 125/0.33 बाके सैंदवाडा पटटी तहसील सीकरी के 1/3 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सरिता मदान पत्नि संदीप मदान दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजात में सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार दर्ज है, उक्त आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी एवं खसरा नंबर 125/0.33 बाके सैंदवाडा पटटी तहसील सीकरी पर प्रार्थीया का नाम अशुद्ध दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को संबंधित कृषि कार्यो में परेशानी आती है। प्रार्थीया को उक्त गलत इन्द्राज के कारण सरकारी एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्रार्थीया सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं सरिता मदान पत्नि संदीप मदान के स्थान पर अपना नाम सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार दर्ज करा पाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे तथा उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं सरिता मदान पत्नि संदीप मदान के स्थान पर सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार शुद्ध फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार (तहसीलदार सीकरी) से प्रार्थना पत्र की बाबत रिपोर्ट ली गई। पेरोकार सरकार ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज० सत्यमेव जयते

रिपोर्ट में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी के 1/5 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान व खसरा नंबर 125/0.33 बाके सैंदवाडा पटटी तहसील सीकरी के 1/3 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सरिता मदान पत्नि संदीप मदान दर्ज है। जबकि सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं सरिता मदान पत्नि संदीप मदान एक की ही महिला है। एवं प्रार्थीया का नाम आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी के 1/5 हिस्से पर एवं प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान के स्थान पर सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार शुद्ध किये जाने की लिखित अभिशंषा दी है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आराजी में सहकाश्तकार राजेश पुत्र बनवारीलाल जाति खत्री निवासी सीकरी का शपथ पत्र एवं योगेश पुत्र बनावारी लाल जाति खत्री निवासी सीकरी का शपथ पत्र पेश किये हैं। गवाहान ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी में प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान व खसरा नंबर 125/0.33 बाके ग्राम सैंदवाडा पटटी सीकरी में प्रार्थीया का नाम सरिता मदान पत्नि संदीप मदान दर्ज है जबकि प्रार्थीया का शुद्ध नाम सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार है।

आज प्रार्थीया के अभिभाषक की बहस बाबत प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी के 1/5 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान व खसरा नंबर 125/0.33 बाके सैंदवाडा पटटी तहसील सीकरी के 1/3 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सरिता मदान पत्नि संदीप मदान दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जबकि सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं सरिता मदान पत्नि संदीप मदान एक की महिला हैं एवं प्रार्थीया का शुद्ध नाम सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार शुद्ध नाम है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं सरिता मदान पत्नि संदीप मदान के स्थान पर सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार शुद्ध फरमाया जावे।

इस प्रकार संपूर्ण पत्रावली एवं तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन अध्ययन व मनन किया जाकर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सीकरी एवं शपथ पत्र सह काश्तकार प्रार्थीया का नाम आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी के 1/5 हिस्से पर प्रार्थीया का नाम सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं आराजी खसरा नंबर 125/0.33 बाके ग्राम सैंदवाडा पटटी तहसील सीकरी पर सरिता मदान पत्नि संदीप मदान के स्थान पर सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार शुद्ध किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाया जाता है आराजी खसरा नंबर 1006/0.21 बाके ग्राम कुतकपुर पटटी तहसील सीकरी के 1/5 हिस्से पर सविता मदान पत्नि संदीप मदान एवं आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 125/0.33 बाके सैंदवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

निर्णयः– सरिता कुमारी बनाम तहसीलदार सीकरी
प्रा.पत्र 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांकः– 19.09.2024

पटटी तहसील सीकरी के 1/3 हिस्से पर सरिता मदान पत्नि संदीप मदान के स्थान पर प्रार्थीया का नाम सरिता कुमारी पत्नि संदीप कुमार शुद्ध किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सीकरी को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज० सत्यमेव जयते